No. 3-1/2012-NER
Govt. of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

કુલપતિ
4141
10 JUN 2014
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated:- 04.06.2014

To

I. Vice-Chancellors of all Universities
II. Chairman, AICTE
III. Chairman, UGC
IV. Education Secretaries of all States/UTs

Sub:- Concession for the wards of Kashmiri migrants for admission during academics session 2014-15-Reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 3-1/2012-NER dated 7th March, 2013, regarding provision of certain concessions for the wards of Kashmiri migrants in the matter of their admission to the educational institutions in other parts of the country during the academic session 2013-14. As Kashmiri migrants continue to face hardships, it would be necessary to provide concessions to their wards for their admission during the coming academic session also.

2. It is, therefore, requested to kindly provide the following concessions to the Kashmiri migrants in the matter of their admission in your institutions during the academic session 2014-15.

(i) Relaxation in cut off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
(ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.
(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution.
(iv) Waiving off domicile requirements.

Yours faithfully,

(Anil Gairola)
Under Secretary to the Govt. of India

REGISTRAR
INWARD DATE
854
Sau. Uni. Rajkot

Copy for similar action to:
(i) AS (Tech.)
(ii) JS (HE)
(iii) JS (CU)

SAURASHTRA UNIVERSITY
RAJKOT - 360 005.
INWARD NO. 96
U.G.C. / / SECTION

Copy to:
Ministry of Home Affairs [(JS (K)], North Block, New Delhi

(19)

संख्याः 310 / XVII-2 / 16—02(OBC) / 2012

1-Received under Registered Cover
2-No. EV510329656IN 6209
3-Dated 2/3/16
4-To ADM (E) / AJA-III

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

D.M.
Dehradun

समाज कल्याण अनुभाग—2

देहरादूनः दिनांकः 26 फरवरी, 2016

विषयः अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे प्रमाण—पत्रों की वैधता अवधि के सम्बन्ध में शासनादेश सं0—590 / XVII—2 / 12—05(OBC) / 2010 दिनांक 30 मई, 2012 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष मान्य होगी, व्यवस्था की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाये जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी, की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवदेनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (नोटरी युक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि अब उसकी आय कितनी है।

(ii) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक आय होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।

(iii) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यो को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरुद्ध तथ्यो की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी यदि हों, के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

AJA III
आरक्षण

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में प्रमाण जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– / XVII-2 / 16–02(OBC) / 2012 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल, नैनीताल / पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
9. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।